

न्यूज WINDOW

गबन करने के मामले में केस दर्ज

इन्दौर • लखुड़िया में एक टायर ट्यूब कंपनी में अपने दो कर्मचारियों के खिलाफ गबन करने के मामले में केस दर्ज कराया है। लखुड़िया पुलिस के मुताबिक आरपीएल इंडस्ट्रीज की तरफ से उनके दो कर्मचारी राजेश पुत्र घसीटराम अहिरवार निवासी अशोक नगर, कैलाश गणपत पलानिया उज्जैन के खिलाफ गबन का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने 11 लाख के ट्यूब और टायर बेच दिए थे। अकाउंट और माल की डिटेल्स चेक करने के बाद केस दर्ज कराया है।

गाड़ी में आग लगाकर भागा

इन्दौर • बाणगांगा पुलिस के मुताबिक दवा बाजार में काम करने वाले रितीक मेहर की रिपोर्ट पर मुकेश उर्फ लक्की के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रितीक ने बताया कि वह हॉल में सो रहा था। बाहर आवाज आई देखा तो मुकेश गाड़ी में आग लगा रहा था। देखने पर वह भाग गया। बाद में आस्पास के लोगों ने आग पर काबू किया।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भवन स्वामी द्वारा संपत्ति कर में नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया गया है आवेदन कार्यालय अर्थात् पिता नवरत्नचंद्र कोवारी पता- 63 सी वी स्क्रीन नं. 140, इंदौर, सर्विस क्र. 1003875685 झोन क्र. 19, निगम रिकार्ड - श्री नवरत्नचंद्र कोवारी। इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 31.05.2024 से 07 शत दिवस की समाप्ति के अंतर्गत किसी भी वित्त संस्था, बैंक, निधाय व्यक्ति को आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 19 के सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर मय दस्तावेजों के अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समायाज पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
झोन अधिकारी के सहायक राजस्व अधिकारी, झोन क्रमांक 19 नगर पालिक निगम इंदौर

आईटीआई में शत-प्रतिशत एडमिशन हो इसके लिए शासकीय एवं प्रायवेट स्कूल में प्रचार-प्रसार किया जाए

कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में कौशल विकास समिति की बैठक सम्पन्न

चैतन्य लोक • इंदौर
chaitanyalok.page

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) इंदौर सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है। छात्र एवं छात्राओं के एडमिशन शत-प्रतिशत किये जाने के लिये इंदौर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय एवं प्रायवेट स्कूल में प्रचार-प्रसार किया जाए कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा यह निर्देश कौशल विकास समिति की बैठक में दिये गये। बैठक में आई.टी.आई. प्राचार्य जी.एस. शाजापुरकर सहित विभाग से संबंधित अधिकारीगण और समिति के सदस्य मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कक्षा दसवीं के बाद



जो छात्र-छात्राएं स्कूल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या कुछ अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं उनके लिये आईटीआई बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है। इन सभी की जानकारी छात्र-छात्राओं को प्रचार-प्रसार के माध्यम से दी जाए। उन्होंने

निर्देश दिये कि इंदौर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी स्कूल है चाहे वह शासकीय हो या अशासकीय उसमें इसकी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाए और स्कूलों में ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा मुहैया करवायी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना,

राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना तथा अन्य स्किल डेवलपमेंट योजनाओं की भी समीक्षा की गयी।
बैठक में प्राचार्य शाजापुरकर द्वारा शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती प्रक्रिया, व्यवसाय एवं सितिग क्षमता आदि की विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि शासकीय संभागीय आई.टी.आई. इन्दौर में सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिये इच्छुक छात्र एवं छात्राएं निकटतम एमपीऑनलाईन पर जाकर <https://dsd.mp.gov.in/> पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रथम चरण के रजिस्ट्रेशन एवं संस्थाओं व व्यवसायों की प्राथमिकता का क्रम चयन (चॉइस

फिलिंग) के लिए अंतिम तिथि 10 जून 2024 निर्धारित की गई है। संस्था में संचालित व्यवसाय विद्युत्कार तथा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सहित लगभग 27 व्यवसायी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा जिसमें ड्यूल् सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डीएसटी) व्यवसाय भी सम्मिलित है। जिसके अंतर्गत प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को लगभग 3 से 12 माह के लिये ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिये कंपनी भेजा जाता है। जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 10 हजार रुपये तक स्टार्टअप की पात्रता होती है। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिये संभागीय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) नन्दानगर, इन्दौर में संपर्क किया जा सकता है।

इंदौर लोक

इंदौर सर्व आदिवासी संगठन ने जापान सौंपा



चैतन्य लोक • इंदौर
chaitanyalok.page

सर्व आदिवासी संगठन ने इंदौर कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित छः सूचीय मांगों का जापान एडीएम रोशन राय को सौंपा है। इस दौरान आदिवासी संगठन ने कहा कि मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर परीक्षा वर्ष 2022 का परिणाम गत 10 मई को जारी किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति के एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति से चयन प्रक्रिया में पुनर्विचार किए जाने की मांग करते हुए साक्षात्कार के फैसले में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व शामिल किए जाने की मांग की है। जापान में कहा है कि वर्ष 2013 के

पूर्व उक्त चयन परीक्षा मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी। वर्तमान में मप्र हाई कोर्ट जबलपुर की ओर से आयोजित की जा रही है। पूर्व की संस्था से ही परीक्षा कराए जाने की मांग की है। जापान में यह भी कहा है कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक 50 में से 40% यानी 20 अंक प्राप्त करना है। लेकिन परीक्षा में अधिकांश अभ्यर्थियों को 19 अंक दे कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। आदिवासी समाज ने परीक्षा परिणाम पर पुनः विचार किया जाए आदि मांगों का जापान दिया है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष शकुन्ता डोडवे, इंदौर उपाध्यक्ष अर्चना चौहान, महासचिव जितेन मंडलोई, सहसचिव डॉ. दिलीप अस्के, वालसिंग कनेश, निखिलेश गोले व अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

एमबीए के पेपर लीक एफआईआर दर्ज

चैतन्य लोक, इंदौर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा के दो पेपर आउट होने के बाद गुरुवार को यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने ब्राह्मण ब्रांच में शिकायत की। जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस मामले में जांच कमेटी भी बनाई है।
इधर, पेपर लीक मामले में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। बता दें कि मंगलवार को एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के 'अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स' विषय का पेपर था। इसके पहले सोमवार रात 11 बजे सोशल मीडिया पर हबूहू पर्वी स्टूडेंट्स तक पहुंच गया था। पेपर लीक

पर यूनिवर्सिटी ने जांच कमेटी बनाई है। डिप्टी रजिस्ट्रार रचना ठाकुर के अनुसार चार सदस्यीय इस कमेटी में लोकपाल नरेंद्र सरसंगी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ. सुभा सितावट, डीसीडीसी डॉ. राजीव दीक्षित और डीन स्टूडेंट डेवलपमेंट डॉ. एल्के निपाठी जांच कर रहे हैं। 28 मई को पेपर लीक का खुलासा होने पर एबीवीपी और युवक काँग्रेस आदि ने प्रदर्शन किया था। एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। जब कार्रवाई नहीं हुई तो गुरुवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फिर से प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इसके कुछ देर बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई जांच ब्राह्मण ब्रांच करेगी।

चार दिनों में चार डिग्री की गिरावट एक-दो दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

चैतन्य लोक • इंदौर
chaitanyalok.page

इस बार मई में भीषण गर्मी से अब राहत मिलेगी लगी है। गुरुवार सुबह से ठण्डी हवाएं चल रही है और दिन भी चलती रही। गुरुवार को तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई। इसके सहित पिछले चार दिनों से तापमान में चार डिग्री की गिरावट आई है। गुरुवार को दिन का तापमान 39.5 (-1) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले दो-दिवसों में तापमान में मामूली गिरावट रहेगी जिससे गर्मी से और राहत मिल सकती है।
इसके पूर्व मंगलवार को दिन का तापमान 41.1 (+1) डिग्री और रात का तापमान 25.9 (+1) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।



इसके बाद बुधवार को दिन में गर्मी कम रही। इस दौरान 28 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से तापमान में गिरावट आई। दोपहर का तापमान 40.8 (0) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। रात का तापमान 26.1 (+1) डिग्री

सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके पूर्व 23 मई को सबसे ज्यादा गर्मी थी। इस दौरान तापमान 44.5 (+4) डिग्री सेल्सियस था जिसने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके बाद तापमान में फिर धीरे-धीरे गिरावट आई।

GAGAN GASES LIMITED
REGD. OFFICE-40, SCHEME NO 78, PART 2, VIJAYNAGAR, INDORE (M.P.)
www.gagangases.com email : gm@gagangases.com CIN : L24111MP1986PLC004228

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QTR & YEAR ENDED 31.03.2024

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year Ended	
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024
1	Total Income from Operations	67.39	60.30	38.67	216.39
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	4.92	6.61	1.95	8.87
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	4.92	6.61	1.95	8.87
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	2.06	6.61	-1.91	6.01
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	2.06	6.61	-1.91	6.01
6	Equity Share Capital	451.85	451.85	451.85	451.85
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				-147.33
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic	0.05	0.15	-0.04	0.13
	2. Diluted	0.05	0.15	-0.04	0.13

Notes: The above is an extract of the Quarterly & Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Results are available on the BSE website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.gagangases.com)
Place : Indore For Gagan Gases Ltd
Date : - 30/05/2024 Gagan Maheshwary, Managing Director, DIN : 00320425

NAME CHANGE
I Rizwana Burhani W/o Khuzema Burhani here by declare that I have changed my name as Ridwana Burhani W/o Khuzema Burhani so from now and in future I will be known by my new name.
Ridwana Burhani w/o Khuzema Burhani
37 Salfate Nagar, Khalwala Tank, Indore 452014

नाम परिवर्तन की सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रेया था। जो कि अब बदलकर रेया तान्टे (REYA TANTE) हो गया है। अतः भविष्य में अब मुझे मेरे नये नाम रेया तान्टे (REYA TANTE) के नाम से जाना व पहचाना जावे।
रेया तान्टे (REYA TANTE)
पिता अमित तान्टे (AMIT TANTE)
पता -15, गुलाब पार्क, महेश नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश 452002

CHANGE OF NAME
It is to be informed to the general public that, I Meher Ahuja W/o Jay Kumar Ahuja Resident of 63, Palsikar Colony, Indore. Earlier known by the name of Ekta Balani D/o Moti Ram Balani. After Marriage, I have changed my name to Meher Ahuja W/o Jay Kumar Ahuja for all Purposes and future correspondence.
Old Name Ekta Balani
New Name Meher Ahuja
Resident : 63, Palsikar Colony, Indore

नाम परिवर्तन
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की पूर्व में मेरे नाम की इंग्लिश में शोबिग शोएब मंसुरी पिता शोकत मंसुरी (Shoiba/Shoyab S/o Shokat Mansuri) थी, जो अतिरिक्त विभिन्न डाक्यूमेंट्स में दर्ज हो गया था जबकि वास्तव में मेरा सही नाम शोएब मंसुरी पिता शोकत मंसुरी (Shoiba Mansuri S/o Shokat Mansuri) है, जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है तथा माता के नाम में अपूर्ण नाम अनिशा लिखा है जो कि पूरा नाम अनिशा बी है।
अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे सही नाम शोएब मंसुरी पिता शोकत मंसुरी (Shoiba Mansuri S/o Shokat Mansuri) तथा माता का नाम अनिशा बी (Anisha Bee) से ही जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा व बोला जाये। सो विदित हो।
पुराना नाम Shoiab/Shoyab S/o Shokat Mansuri
नया नाम Shoiba Mansuri S/o Shokat Mansuri & Anisha Bee
निवासी : अटाहेड़ा, इंदौर

In The Court Of X Civil Judge Class-1, District Court Indore
Presiding Officer: हर्षिता सिंगार
संलग्न नोटिस प्रकाशन हेतु प्रकरण क्रमांक (MJC SUC 51/2019)
मनोहर बंसल
विरूद्ध
रतनबाई
पेशी दिनांक :- 11.07.2024

प्रेषिती-
(1) सर्वसाधारण
(2) रतनबाई अग्रवाल पति स्व. बद्रीलाल, पता- 19, नॉर्थ यशवंतगंज, इन्दौर
आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनोहर बंसल पिता स्व. बद्रीलाल बंसल, निवासी- 19, नॉर्थ यशवंतगंज, इन्दौर ने अपने पिता मृतक स्व. बद्रीलाल पिता पृथ्वीपाल बंसल एवं माता स्व. रतनबाई अग्रवाल, निवासी- 19, नॉर्थ यशवंतगंज, इन्दौर की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 11.07.2024 को नियत है।
यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 11.07.2024 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरान्त, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।
आज तारीख 15.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(सुश्री हर्षिता सिंगार)
दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जिला न्यायालय, इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
जाहिर सूचना
जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक तनुज जैन पिता अशोक जैन, मो.नं. 9926790355 द्वारा झोन क्रमांक 02 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन नंबर 1003863769 पता- 102 फ्लैट, हुकुमचंद मार्ग, इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है।
इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 31/05/2024 से 07 दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण पर आपत्ति हो तो झोन क्र. 02 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।
अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक-02
नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
जाहिर सूचना
जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिनेश पिता किशनलालजी जैन, मो.नं. 9425400418 द्वारा झोन क्रमांक 02 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन नंबर 1002969991 पता- प्रकोष्ठ क्र. 01 ए नया 30 पु. 9 नगरची बाखल, इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है।
इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 31/05/2024 से 07 दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण पर आपत्ति हो तो झोन क्र. 02 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।
अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक-02
नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
जाहिर सूचना
जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय सोनी पिता मिट्टलाल सोनी, ज्योति, मो.नं. 9826468886 द्वारा झोन क्रमांक 02 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन नंबर 1000872177 पता- 17-1 लोधीपुरा, इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है।
इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 31/05/2024 से 07 दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण पर आपत्ति हो तो झोन क्र. 02 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।
अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक-02
नगर पालिक निगम, इन्दौर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील मल्हारगंज इन्दौर
क्रमांक/557/रीडर/2024-25 इन्दौर, दिनांक 29/05/2024
R.C.M.S प्रकरण क्रमांक 0580/अ-3/2023-24
:: उद्घोषणा ::
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि ग्रीन पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे मयंक जगवानी पिता श्री लखमीचंद जी जगवानी निवासी 34, त्रिगेपी कॉलोनी एक्सटेंशन इंदौर के द्वारा ग्राम बड़ावांगड़वा भूमि सर्वे क्रमांक 264/3/2, 265/2 रकबा 0.139, 0.087 की भूमि म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत बटांकन एवं नक्शे में भरामी करने बाबद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त मुद्दे के संबंध में जिस किसी व्यक्ति का संस्थान को आपत्ति हो तो दिनांक 10/06/2024 के अन्दर अपनी आपत्ति स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से तहसील न्यायालय तहसील मल्हारगंज कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 201 में उपस्थित होकर प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
तहसीलदार तहसील मल्हारगंज इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
जाहिर सूचना
जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रथम पिता मनीष जैन, मो.नं. 9644038388 द्वारा झोन क्रमांक 02 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन नंबर 1003502084 पता- प्रकोष्ठ क्र. 102 डी नया 30 पु. 9 नगरची बाखल, इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है।
इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 31/05/2024 से 07 दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण पर आपत्ति हो तो झोन क्र. 02 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।
अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक-02
नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
जाहिर सूचना
जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिनेश पिता किशनलालजी जैन, मो.नं. 9425400418 द्वारा झोन क्रमांक 02 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन नंबर 1000874341 पता- 35, नगरची बाखल, इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है।
इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 31/05/2024 से 07 दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण पर आपत्ति हो तो झोन क्र. 02 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।
अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक-02
नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
जाहिर सूचना
जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमित जैन पिता अशोक जैन, मो.नं. 9926790605 द्वारा झोन क्रमांक 02 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन नंबर 1003843495 पता- हुकुमचंद मार्ग 101 फ्लैट, इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है।
इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 31/05/2024 से 07 दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण पर आपत्ति हो तो झोन क्र. 02 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।
अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक-02
नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
जाहिर सूचना
जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिनेश पिता किशनलालजी जैन, मो.नं. 9826468886 द्वारा झोन क्रमांक 02 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन नंबर 1002976996 पता- प्रकोष्ठ क्र. 01 के नया 30 पु. 9 नगरची बाखल, इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है।
इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 31/05/2024 से 07 दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण पर आपत्ति हो तो झोन क्र. 02 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।
अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक-02
नगर पालिक निगम, इन्दौर

दि अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला
(बहुराज्य अनुसूचित बैंक)
प्रधान कार्यालय : "जनकल्याण" 58/59, तैशनीवाल लेआउट, मुर्तिजापुर रोड, सरकारी दुध योजना के पीछे, अकोला 444 001 (फोन नं. 2453850/54, फेक्स नं. [0724] 2453863-64) शाखा : 13, सुभाष मार्ग, मेन रोड, इंदौर (म.प्र.)
सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन
वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस यहाँ इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि उल्लिखित ऋणी(ओं) /जमानतदार(ओं) /बंधकर्ता(ओं) जिन्होंने बैंक से प्राप्त ऋण अधिविकसं सुविधा के मुद्दान और ब्याज को चुकाने में शुभ की है और जिनके सुविधा खातों को गैर प्रदर्शन संपत्ति (एनपीए) में वर्गीकृत किया गया है। सिविल/रिट/डिआर/ऑर्डर की धारा 13(2) और सिविल्य प्रसिद्धियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत उनके अतिरिक्त ज्ञात पक्ष पर उन्हें नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वे अनुपालित लौटे हैं और इस तरह उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।
क्र. ऋणी/बंधकर्ता/जमानतदार का नाम एवं पता एवं ऋण खाता क्र. ऋणी/बंधकर्ता/जमानतदार का नाम एवं पता एवं ऋण खाता क्र. 13 (2) सूचना के अनुसार बकाया राशि संपत्ति का विवरण

1.	अनुराग दिक्षित पिता सत्यभूषण दिक्षित (ऋणी एवं बंधकर्ता), पता: 26, मधुबन कॉलोनी इंदौर (म.प्र.) पता- (बी) 110, कलिविंडी कुंज, पिपलियाहाला रोड इंदौर (म.प्र.), पता- (सी) 17, वृन्दावन गार्डन कॉलोनी, पिपलियाहाला स्क्रीन नं. 140 के पास, इंदौर (म.प्र.) ऋण खाता संख्या : 1031068000297	24.01.2008 05.02.2024	Rs 4,55,544/- (चार लाख पचस हजार पांच सौ चत्वारसी मात्र) एवं दिनांक 01.02.2024 से आगे का ब्याज एवं खर्च	'मधुवन कॉलोनी' प्लॉट नंबर 26 स्थित संपत्ति, निर्मित मकान केसर बाग रोड, इंदौर की पहली मंजिल का क्षेत्रफल, कुल प्लॉट क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट एवं उस पर मकान का निर्माण। उक्त मकान की धर्तूसीमा- पूर्व की ओर - 30 फीट चौड़ी कॉलोनी रोड, पश्चिम में - 15 फीट चौड़ी गली, उत्तर में - प्लॉट नंबर 27, दक्षिण में - प्लॉट नंबर 25, उपरोक्त संपत्ति अनुराग दिक्षित पिता सत्यभूषण दिक्षित के स्वामित्व, आधिपत्य में है एवं बैंक में गिरी है।
2.	1. मेहर्स सर्वथाशु इंडरजी (ऋणी) प्रोप- अनुराग सत्यभूषण दिक्षित, पता- 26, मधुबन कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.) 2. अनुराग दिक्षित पिता सत्यभूषण दिक्षित (ऋणी एवं बंधकर्ता), पता: (ए) 26, मधुबन कॉलोनी इंदौर (म.प्र.), पता- (बी) 110, कलिविंडी कुंज, पिपलियाहाला रोड इंदौर (म.प्र.), पता- (सी) 17, वृन्दावन गार्डन कॉलोनी, पिपलियाहाला स्क्रीन नं. 140 के पास, इंदौर (म.प्र.) ऋण खाता संख्या : 1031031000055	01.02.1990 05.02.2024	Rs 14,30,790/- (रुपये चौदह लाख तीस हजार सात सौ नब्बे मात्र) एवं दिनांक 01.02.2024 से आगे का ब्याज एवं खर्च	'मधुवन कॉलोनी' प्लॉट नंबर 26 स्थित संपत्ति, निर्मित मकान केसर बाग रोड, इंदौर की पहली मंजिल का क्षेत्रफल, कुल प्लॉट क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट एवं उस पर मकान का निर्माण। उक्त मकान की धर्तूसीमा- पूर्व की ओर - 30 फीट चौड़ी कॉलोनी रोड, पश्चिम में - 15 फीट चौड़ी गली, उत्तर में - प्लॉट नंबर 27, दक्षिण में - प्लॉट नंबर 25, उपरोक्त संपत्ति अनुराग दिक्षित पिता सत्यभूषण दिक्षित के स्वामित्व, आधिपत्य में है एवं बैंक में गिरी है।
3.	बाबूलाल पाटीदार पिता मंगीलाल पाटीदार (ऋणी एवं बंधकर्ता), पता: मकान नं. 763, श्रीमक कॉलोनी, नगर पंचायत हस्तोला तहसील मह, जिला इन्दौर (म.प्र.) ऋण खाता संख्या : 1031060000034	01.11.2000 22.02.2024	Rs 26,10,358/- (रुपये छब्बीस लाख दस हजार तीन सौ अठान मात्र) एवं दिनांक 30.11.2023 से आगे का ब्याज एवं खर्च	प्लॉट भवन एवं भवन के सभी हिस्सों में स्थित संपत्ति - मकान नंबर 763, श्रीमक कॉलोनी (न्यू कॉलोनी), महू रोड ग्राम पंचायत हस्तोला, तहसील महू, जिला इंदौर म.प्र. जिसका कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट है एवं उस पर मकान का निर्माण। उक्त मकान की धर्तूसीमा- पूर्व में - श्री संकर पाटीदार का प्लॉट एवं मकान, पश्चिम में - रामरत्न पाटीदार का मकान, उत्तर में - मेन रोड एवं 24 फीट रोड, दक्षिण में - 12 फीट रोड, उपरोक्त उक्त संपत्ति बाबूलाल पाटीदार पि